राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 14/2019 दायर दिनांकः–12.06.2019

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. राज्य सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार रूपनगढ जिला अजमेर

––––प्रार्थी

बनाम

1. भारतसिंह पुत्र औंकारसिंह जाति राजपूत निवासी किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान (फौत)।
(1) दिग्विजय सिंह पुत्र भारतसिंह, निवासी 59 इन्द्रा कॉलोनी, बनीपार्क जयपुर।
(2) मीनाक्षी कंवर पुत्री भारतसिंह, निवासी कृष्णा कॉलोनी, प्लॉट नम्बर 80, विद्याधर नगर, जयपुर।
(3) मधु कंवर पुत्री भारतसिंह, निवासी जोहरी बाजार, शान कॉटेज, जयपुर।
(4) मंजु कंवर पुत्री भारतसिंह, निवासी चांदपोल, राहथल हाउस, जयपुर।

––––अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 10.03.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बकरवालिया पटवार हल्का सिनोदिया भू0अ0नि0 क्षेत्र कोटड़ी में कृषि भूमि खसरा नम्बर 59 रकबा 2.8153 है0 भूमि स्थित है जो कि अप्रार्थी भारतसिंह पुत्र औंकारसिंह जाति राजपूत निवासी किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान के खातेदारी में राजस्व रिकॉर्ड सेग्रिगेशन जमाबंदी संवत् 2073–76 के खाता संख्या 108 पर दर्ज है। वादग्रस्त भूमि का प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ भूमिधारक है। अप्रार्थी भूमि का खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी भूमिधारक से अप्रार्थी ने बतौर खातेदार के भूमि धारित की है। वाद अधीन भूमि कृषि भूमि है जिस पर खेती काश्त करने के अलावा अप्रार्थी अन्य कोई अकृषि कार्य नहीं कर सकता है। अप्रार्थी अकृषि कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं है। खनिज अभियंता अजमेर भू0अ0नि0 कोटड़ी व पटवार हल्का सिनोदिया द्वारा दिनांक–04.05.2019 को तैयार संयुक्त मौका पंचनामा रिपोर्ट के प्रार्थी को पटवारी हल्का सिनोदिया ने दिनांक–07.06.2019 को रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके अनुसार ग्राम बकरवालिया के खसरा नम्बर 59 रकबा 2.8153 है0 में से 0.3487 है0 भूमि पर ताजा अवैध बजरी खनन पिट पाये गये है एवं मौके पर आराजी खसरा नम्बर 58 गै0म0 चाह को मुस्तकिल बिन्दु मानते हुए खनन पिटों की नपाई की गई जो कि संलग्न रिपोर्ट है। वक्त मौका पंचनामा खातेदार या उसका कोई प्रतिनिधि उपस्थित नही मिला। खातेदारी खेत में खुदे हुए खनन पिटों में औसतन बजरी की गहराई 1.5 मीटर तथा साधारण मिट्टी जो कि उपरी सतह से हटाई जाकर खेत में ही खनन पिटों के आसपास पड़ी हुई है, की औसतन गहराई 1.5 से 2 मीटर पायी गई है। खनन पिटों की नपाई जी0पी0एस0 72 एच0 से की गई जिसके अनुसार खनन पिटों से खनन कर निर्गमित की गई बजरी की मात्रा 3487 वर्गमीटर गुणा 1.5 मीटर [illegible] कुल 7322.7 टन खनिज बजरी का अवैध खनन कर अवैध रूप से निर्गमन किया गया है जिस [illegible] 35 [illegible] ये प्रति यूनिट टन की दस गुणा रॉयल्टी राशि रुपये 2562945.00 मात्र मय अवैध खनन पिट कंपाउंड [illegible] राशि रुपये 25000/– कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.04.06 13:57:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

राशि रुपये 2587945.00 मात्र अक्षरे राशि रुपये पच्चीस लाख सत्यासी हजार नौ सौ पैंतालिस मात्र [illegible] है। संयुक्त मौका पंचनामा रिपोर्ट के मुताबिक मौका स्थिति के अनुसार स्पष्ट जाहिर होता है कि [illegible] बजरी का खनन खातेदार द्वारा ही किया व करवाया जा रहा है। उक्त खेत खातेदारी खेत में वर्तमान में खनिज विभाग द्वारा कोई वैध खनन पट्टा/एल0ओ0आई0 जारी किया हुआ नही है। अतः खातेदारी खेत में किया हुआ बजरी खनन अवैध बजरी खनन की श्रेणी में आता है, अर्थात् उक्त खसरा नम्बर मे उक्त 0.3487 है0 भूमि पर कृषि कार्य नही किया जा रहा है। पूर्व में भी पटवारी हल्का द्वारा वाद अधीन खसरा नम्बर की भूमि में से एक बीघा भूमि में अवैध रुप से बजरी खनन की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अप्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में अवैध खनन कार्य कर अवैध रुप से बजरी खनन कार्य किया जा रहा है जो कि नियम विरुद्ध कार्य है। इस प्रकार यह स्पष्ट तौर पर अप्रार्थी का कृत्य कृषि भूमि पर अकृषि कार्य करने की श्रेणी में आता है। अप्रार्थी को यह अधिकार नहीं है कि बिना सक्षम स्वीकृति के वह कृषि भूमि पर किसी प्रकार का कोई अकृषि कार्य कर भूमि के स्वरुप को बदलेगा अथवा भूमि की मृदा को नष्ट, खुर्द–बुर्द कर सकेगा। अप्रार्थी द्वारा वाद अधीन कृषि भूमि खसरा नम्बर 59 कुल रकबा 2.8153 है0 मे से 0.3487 है0 भूमि पर अकृषि कार्य अवैध बजरी खनन कार्य करने से नियमानुसार अप्रार्थी के खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाकर अप्रार्थी को भूमि से बेदखल किया जाकर भूमि को भूमिधारक के नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के खातेदारी अधिकार समाप्ति बाबत प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। वाद कारण दिनांक 07.06.2019 को पटवारी हल्का सिनोदिया द्वारा खनिज अभियंता अजमेर भू0अ0नि0 कोटड़ी व पटवारी हल्का सिनोदिया द्वारा तैयार मौका पर्चा दिनांक–04.05.2019 प्रस्तुत कर अप्रार्थी द्वारा वाद अधीन भूमि ग्राम बकरवालिया के खसरा नम्बर 59 कुल रकबा 2.8153 है0 में से 0.3487 है0 भूमि पर अवैध बजरी खनन कार्य करने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर उत्पन्न होकर निरंतर जारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी का नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुआ। वकील अप्रार्थी की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार जमीन के खातेदार भारतसिंह का देहावसान दिनांक–24.03.2015 को होने के पश्चात् अप्रार्थी ही एकमात्र वारिस होने के कारण खेतों की देखभाल करता आ रहा है। भारतसिंह की तीन पुत्रियां मंजू कंवर, मधु कंवर एवं मिनाक्षी कंवर विवाह के पश्चात् अपने–अपने ससुराल में रह रही हैं तथा उक्त जमीन में किसी भी प्रकार से संबंधित न होने के कारण उन्हे अनावश्यक रुप से पक्षकार बनाया गया है जिन्हें मुकदमे से हटाया जाना न्यायोचित है। कृषि भूमि पर किसी प्रकार का अकृषि कार्य नहीं किया गया है। मौका पंचनामा रिपोर्ट पूर्णतया मनमर्जी से तैयार की गयी है। अप्रार्थीगण न तो स्वयं और न ही मौके पर उनका कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित था और ना ही मौके पर उनके प्रतिनिधि को गांव से बुलाया गया था। पटवारी हल्का सिनोदिया द्वारा दिनांक–01.06.2019 को तहसीलदार रुपनगढ को लिखे गये पत्र में भारतसिंह पर अवैध खनन किये जाने अथवा करवाये जाने का आरोप लगाया गया है जबकि स्वयं पटवारी को यह मालुम था कि भारतसिंह का देहान्त चार वर्ष पूर्व ही हो गया था और गांव के सभी लोगों को भी उनकी मृत्यु का मालुम था। उसके बावजूद भी मौका रिपोर्ट व पत्र में भारतसिंह का नाम लिखा जाना इस बात का द्योतक है कि अवैध खनन की रिपोर्ट मौके पर न बनाई जाकर ऑफिस में बनायी गयी है अन्यथा वस्तुस्थिति का उल्लेख होता। यहां पर उल्लेख करना भी उचित होगा कि स्वयं तहसीलदार रुपनगढ द्वारा दिनांक–01.07.2019 को इस न्यायालय को लिखे गये प[illegible] कार्यवाही के दौरान खातेदार या उसका कोई प्रतिनिधि मौके पर मौजूद नहीं मिला एवं मौ[illegible] [illegible]दारी भूमि पर किये गये अवैध बजरी खनन बाबत् आस–पास के ग्रामीणों से जानकारी करने पर क[illegible] जानकारी नहीं दी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि खातेदार द्वारा न तो कि[illegible] खनन किया गया है। जहां

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.04.06 13:57:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़, अजमेर

तक गड्डों का प्रश्न है जो काफी वर्षों से बने हुये है जिनमें वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता है जो जानवरों के पीने एवं खेत में सिंचाई करने के लिए काम आता है। राजस्थान टेनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 5 में 19 नम्बर पर इम्प्रुवमेंट की परिभाषा दी हुई है जिसमें काश्तकार अपने खेत के लिये इम्प्रुवमेंट कर सकता है। इम्प्रुवमेंट की परिभाषा निम्नानुसार है–

"Section 5(19) improvement shall mean, with reference to a tenant's holding:

A. A dwelling house erected on the holding by the tenant for his own occupation or a cattle-shed or a store-house or any other construction for africultural purposes erected or set up by him on his holding.

B. Any work which adds materially to the value of the holding and which is consistent with purpose for which it was let;

1. The construction of bunds, tanks wells, water channels and other work for the storage, supply or distribution of water for agricultural purposes.
2. The construction of works for the drainage of land for its protection from floods or from other damage by water.
3. The reclaiming, clearing, enclosing, leveling or terracing of land.
4. The erection in the immediate vicinity of the holding, otherwise than on the village-site of building required for the convenient or profitableuse or occupation of the holding.
5. The renewal or reconstruction of any of the foregoing works or such alteration therein or addition thereto as are not of the nature of mere repairs;

But shall not include such temporary well, water channels, bunds, enclosures or other works as are made by tenants in the ordinary course of cultivation."

उपरोक्त नियमानुसार अप्रार्थी खेत के लिए कृषि कार्य हेतु पानी का संचय करने हेतु होद, बांध, कुंआ एवं पानी के नाले व नाली इत्यादी बना सकता है। अप्रार्थीगण के खेत में काफी वर्षों से उक्त पानी को संचय करने हेतु प्राकृतिक गड्डे पहले से ही बन हुये है जिनमें वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता है जो मवेशियों के पीने एवं कृषि कार्य करने हेतु उपयोग में लिया जाता है। अप्रार्थीगण के खेत में वर्तमान में भी कृषि कार्य किया जा रहा है। अप्रार्थीगण के पिता स्वर्गीय भारतसिंह बॉर्डर सिक्योरिटी फॉर्स में नौकरी करते थे तथा वे हमेशा भारत की सीमाओं की रक्षा हेतु सीमाओं पर तैनात रहते थे तथा खेती के लिए गांव के ही व्यक्ति श्री महेन्द्र को खेतीबाड़ी कि देखरेख के लिए रख रखा है तथा वह खेती करता आ रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा न तो किसी प्रकार का कोई गड्डा किया गया है न ही किसी बजरी का निर्गमन किया गया है। गड्डे प्राकृतिक रुप से पहले ही बने होने के कारण कभी–कभी वर्षा का अधिक पानी आने के कारण उनका फैलाव अधिक हो जाता है। अतः अवैध कार्य का [illegible] लगाना पूर्णतया गलत एवं अस्वीकार्य है। अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा जांच की गई है। [illegible] में [illegible]–बार खातेदार पर अवैध बजरी के निर्गमन का आरोप लगाया गया है जबकि खातेदार का देहावसान [illegible]–24.03.2015 को हो चुका था। यही नही जांच के दौरान गांव वालों से भी उक्त अवैध खनन के संबंध में जानकारी हासिल करना चाहा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.04.06 13:57:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद, अजमेर)

परन्तु गांव वालों ने भी इस संबंध में अनभिज्ञता दर्शायी है। अप्रार्थीगण के प्रतिनिधि श्री महेन्द्र जो कि उक्त क्षेत्र की देखरेख करता है तथा खेत के पास ही गांव में रहता है। इसके बावजूद भी उसको नही बुलाया गया है। स्वयं पटवारी को भारतसिंह की मृत्यु का पता था फिर भी रिपोर्ट में खातेदार का उल्लेख किया गया। रिपोर्ट पूर्णतया मनमानीपूर्ण होने एवं एकतरफा होने के कारण स्वीकार योग्य नही है।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली के अध्ययन, अवलोकन एवं बहस अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम बकरवालिया के खसरा नम्बर 59 कुल रकबा 2.8153 है0 की दिनांक–28.06.2019 को पेश की गई खसरा गिरदावरी की नकल में सम्वत् 2073 से 2076 में 1.0099 है0 में अवैध बजरी खनन का उल्लेख किया है जबकि दिनांक–14.01.2021 को पटवारी हल्का द्वारा जारी इसी खसरा नम्बर की खसरा गिरदावरी की नकल संवत् 2077 में 2.4000 है0 में फसल काश्त होना दर्शाया गया है और 0.4153 है0 ही पड़त दर्शाया गया है और इसी पड़त रकबे 0.4153 है0 में बजरी खनन का उल्लेख नहीं किया है। पूर्व में अवैध बजरी खनन के दर्शाये गये क्षेत्र 1.0099 है0 में से 0.5946 है0 भूमि में संवत् 2077 में फसल काश्त होना दर्शाया गया है। इससे स्पष्ट है कि उक्त खसरा नम्बर में बजरी खनन का कार्य लगातार किया जाना प्रमाणित नहीं हो रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया व शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.04.06 13:57:38 IST
Reason: SelfAttested